

(प्राथमिक डिकी) प्रपत्र -5
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत पलाई

उनवान

1. पीरूलाल पुत्र मांग्या जाति बैरवा निवासी पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक
2. राजेश पुत्री मांग्या जाति बैरवा निवासी पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक
3. सुखी पत्नी मांग्या जाति बैरवा निवासी पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक

- वादीगण

बनाम

1. श्रीकिशन पुत्र छंगा जाति बैरवा निवासी पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक
2. छीतर पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक
3. श्योकरण पुत्र सुखदेवा जाति बैरवा निवासी पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक
4. कल्ली पुत्री भूरा जाति बैरवा निवासी पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक
5. धोली पुत्री जाति बैरवा निवासी पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक
6. तहसीलदार तहसील उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक
7. बैंक आफ बडोदा शाखा पलाई जरिये शाखा प्रबन्धक
8. टोंक जिला सहकारी भुमि विकास बैंक शाखा उनियारा द्वारा शाखा प्रबन्धक


-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 8 वर्ष 2011

वादीगण की ओर से श्री पीरूलाल वादी प्रतिवादी की ओर से श्रीकिशन की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 14.7.2015 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी ख0न0 120, 221, 271, 287, 1163, 1166, 1167, 1168, 1174, 1740, 1746, 2143/918 कुल किता 12 कुल रकबा 6.99 है0 वाके ग्राम पलाई व आराजी ख0न0 1172 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम पलाई का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन हेतु राजस्व रेकार्ड व मोक़े पर कब्जा काशत अनुसार कूर्रजात कायम कर भिजवावे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 7 सन् 2015 को जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक